प्रेषक,

अधिशासी निदेशक, सिफ्सा /
मिशन निदेशक, एन0एच0एम0
लखनऊ, उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्र संख्याःसिफ्सा / पी0एम0एम0वी0वाई / 01 / साम0पत्रा0 / 2020–21 / 15322 दिनांकः 2/7/2021 जून, 2021

विषयः प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अन्तर्गत अर्बन आशाओं की सेवाओं के भुगतान के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पी0एम0एम0वी0वाई0) केन्द्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है जिसके अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के अर्बन क्षेत्र के लिए लगभग 1.20 लाख गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं को लाभ दिए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। उक्त लक्ष्य की प्राप्ति हेतु प्रपत्रों को भरे जाने एवं अन्य सहायता के लिए ग्रामीण की तरह शहरी आशाओं का महत्वपूर्ण योगदान भारत सरकार से प्राप्त गाइडलाइन्स द्वारा निर्धारित किया गया है। आशाओं द्वारा पी0एम0एम0वी0वाई0 के अन्तर्गत निर्धारित दायित्वों का निर्वहन भी किया जा रहा है।

आशाओं की सेवाओं के दृष्टिगत पी0एम0एम0वी0वाई0 की राज्य स्तरीय प्रथम बैठक में लिए गए निर्णय के कम में एन0एच0एम0 के माध्यम से मानदेय की व्यवस्था गयी है जिसकी विस्तृत गाइडलाइन्स ग्रामीण आशाओं की पत्र संख्या सिफ्सा / पी0एम0एम0वी0वाई0 / 01 / साम0पत्रा0 / 2017–18 / 9640, दिनांक 19 मार्च, 2018 एवं तत्क्रम में संशोधित गाइडलाइन्स पत्र संख्या 10377, दिनांक 20 अगस्त, 2020 को प्रेषित की जा चुकी है। ग्रामीण आशाओं की भांति शहरी आशाओं की गाइडलाइन्स इस निर्देश के साथ प्रेषित की जा रही है कि सत्यापनोपरान्त पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से आशाओं का भुगतान सुनिश्चित करें।

भवदीया,

Aparna. U

(अपर्णा उपाध्याय)
अधिशासी निदेशक / मिशन निदेशक

संलग्नकः यथोक्त

संख्या एवं तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन।
2. अपर अधिशासी निदेशक, सिफ्सा/अपर मिशन निदेशक, एन0एच0एम0।
3. महानिदेशक, परिवार कल्याण, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
4. वित्त नियंत्रक, परिवार कल्याण, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उ0प्र0।
5. महाप्रबन्धक (वित्त एवं लेखा), सिफ्सा, लखनऊ।
6. महाप्रबन्धक (अर्बन), राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0, लखनऊ।
7. राज्य नोडल अधिकारी, पी0एम0एम0वी0वाई0।

(अपर्णा उपाध्याय)
अधिशासी निदेशक/मिशन निदेशक

प्रेषक,

अधिशासी निदेशक, सिफ्सा /
मिशन निदेशक, एन0एच0एम0
लखनऊ, उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्र संख्याःसिफ्सा / पी0एम0एम0वी0वाई / 01 / साम0पत्रा0 / 2020–21 / 15322 दिनांकः ~~जून, 2021~~ 23/7/2021

विषयः प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अन्तर्गत अर्बन आशाओं की सेवाओं के भुगतान के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पी0एम0एम0वी0वाई0) केन्द्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है जिसके अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के अर्बन क्षेत्र के लिए लगभग 1.20 लाख गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं को लाभ दिए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। उक्त लक्ष्य की प्राप्ति हेतु प्रपत्रों को भरे जाने एवं अन्य सहायता के लिए ग्रामीण की तरह शहरी आशाओं का महत्वपूर्ण योगदान भारत सरकार से प्राप्त गाइडलाइन्स द्वारा निर्धारित किया गया है। आशाओं द्वारा पी0एम0एम0वी0वाई0 के अन्तर्गत निर्धारित दायित्वों का निर्वहन भी किया जा रहा है।

आशाओं की सेवाओं के दृष्टिगत पी0एम0एम0वी0वाई0 की राज्य स्तरीय प्रथम बैठक में लिए गए निर्णय के कम में एन0एच0एम0 के माध्यम से मानदेय की व्यवस्था गयी है जिसकी विस्तृत गाइडलाइन्स ग्रामीण आशाओं की पत्र संख्या सिफ्सा / पी0एम0एम0वी0वाई0 / 01 / साम0पत्रा0 / 2017–18 / 9640, दिनांक 19 मार्च, 2018 एवं तत्कम में संशोधित गाइडलाइन्स पत्र संख्या 10377, दिनांक 20 अगस्त, 2020 को प्रेषित की जा चुकी है। ग्रामीण आशाओं की भांति शहरी आशाओं की गाइडलाइन्स इस निर्देश के साथ प्रेषित की जा रही है कि सत्यापनोपरान्त पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से आशाओं का भुगतान सुनिश्चित करें।

भवदीया,

<u>संलग्नकः यथोक्त</u>

(अपर्णा उपाध्याय)
अधिशासी निदेशक / मिशन निदेशक

संख्या एवं तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन।
2. अपर अधिशासी निदेशक, सिफ्सा/अपर मिशन निदेशक, एन0एच0एम0।
3. महानिदेशक, परिवार कल्याण, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
4. वित्त नियंत्रक, परिवार कल्याण, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उ0प्र0।
5. महाप्रबन्धक (वित्त एवं लेखा), सिफ्सा, लखनऊ।
6. महाप्रबन्धक (अर्बन), राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0, लखनऊ।
7. राज्य नोडल अधिकारी, पी0एम0एम0वी0वाई0।

(अपर्णा उपाध्याय)
अधिशासी निदेशक/मिशन निदेशक

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अन्तर्गत आशाओं को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि हेतु दिशा–निर्देश

भारत सरकार द्वारा समस्त राज्यों के समस्त जनपदों हेतु कंडीशनल मैटरनिटी बैनिफिट कार्यक्रम–प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का दिनांक 01.01.2017 से क्रियान्वयन चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के तत्वाधान से सिफ्सा के माध्यम से किया जा रहा है। उक्त योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में दिनांक 01 जनवरी 2017 से किसी भी परिवार में पहली बार गर्भवती हो रही महिलाओं एवं धात्री माताओं को योजनान्तर्गत वित्तीय लाभ दिया जा रहा है।

शर्तों के अधीन लाभार्थी को प्राप्त होने वाली प्रोत्साहन राशि का विवरण निम्नवत् है

किश्तों का हस्तांतरण	शर्तें	धनराशि (रू0 में)
प्रथम किश्त	गर्भावस्था का पंजीकरण (यदि एल0एम0पी0 के 150 दिन के भीतर पंजीकरण हुआ है)	1000/–
द्वितीय किश्त	कम से कम एक प्रसवपूर्ण जांच (गर्भावस्था के छः माह बाद)	2000/–
तृतीय किश्त	प्रसव उपरान्त नवजात शिशु का पंजीकरण एवं जन्म उपरान्त प्रथम टीका चक्र पूर्ण किया जाना यथा बी0सी0जी, ओ0पी0वी0, डी0पी0टी0 एवं हैपेटाईटिस अथवा समकक्ष	2000/–

योजना की परिधि से बाहर

- सभी सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (केन्द्र एवं राज्य सरकारों के) कर्मचारी।
- किसी भी कानून के तहत समान लाभ प्राप्त करने वाले सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत कर्मचारी।

अर्बन आशा द्वारा योजना के अन्तर्गत की जाने वाली गतिविधियां:–

- आशा द्वारा लाभार्थी का प्रपत्र भरने में सहयोग प्रदान किया जायेगा।
- आशा यह सुनिश्चित करेगी कि लाभाथ्री द्वारा पंजीकरण तथा **प्रथम किश्त** का दावा प्रस्तुत करते समय प्रपत्र–1 के साथ एम0सी0पी0 कार्ड की प्रति, लाभार्थी का बैंक/पोस्ट आफिस खाते का विवरण, लाभार्थी एवं उसके पति का पहचान प्रमाणपत्र संलग्न किया जाए। आधार संख्या न होने की स्थिति में अन्य फोटो पहचान पत्र विकल्पो के आधार पर दावा प्रस्तुत किया जायेगा तथा प्रपत्र में से लाभार्थी की रसीद अलग कर उसे दी जाएगी। प्रथम एवं द्वितीय किश्त के लाभ हेतु प्रपत्र एक साथ भी भरा जा सकता है।

- लाभाथी द्वारा **द्वितीय किश्त** का दावा गर्भावस्था के छः माह के पश्चात प्रपत्र–1 बी, एम0सी0पी0 कार्ड जिमें कम से कम एक प्रसव पूर्व जॉच का अंकन हो, प्रपत्र–1 ए की रसीद की प्रति, संलग्न की जायेगी तथा प्रपत्र में लाभार्थी की रसीद अलग कर उसे दी जाएगी।
- **तृतीय किश्त** का दावा प्रस्तुत करते समय लाभार्थी द्वारा प्रपत्र–1 सी के साथ शिशु का जन्म प्रमाण पत्र एवं एम0सी0पी0 कार्ड की प्रति जिसमें शिशु को प्रथम चक्र के टीकाकरण किए जाने की प्रविष्टि हो। पूर्व में प्राप्त रसीद संलग्न की जाएगी तथा प्रपत्र में से लाभार्थी की रसीद अलग कर उसे दी जाएगी।
- यदि पहले से बैंक/पोस्ट आफिस का खाता लाभार्थी के पास नही है तो आशा/ए.एन.एम. लाभाथ्री का आधार से जुड़ा बैंक/पोस्ट आफिस खाता खुलवाने में सहायता प्रदान करेगी। यदि पहले से ही उसके नाम खाता है और वह आधार से लिंक नही है तो आशा/ए.एन.एम. लाभार्थी का खाता संख्या को आधार से लिंक कराने में मदद करेगी।
- दावों से सम्बन्धित पूर्ण रूप से भरे गये आवेदन पत्र एवं यथावश्यक अभिलेख प्राप्त होने पर आशा द्वारा पी0एम0एम0वी0वाई0 रजिस्टर में एण्ट्री के पश्चात लाभार्थी को योजना के अन्तर्गत लाभ दिलाने हेतु प्राप्त विवरण को **01 सप्ताह** के भीतर ए.एन.एम. को प्रेषित कर दिया जायेगा।
- लाभार्थी के पते, मोबाईल नं0, आधार नं0, बैंक/पोस्ट आफिस खाता संख्या अथवा बैंक के परिवर्तन की स्थिति में इसकी प्रविष्टि तत्काल पी0एम0एम0वी0वाई रजिस्टर में करेगी।
- यदि लाभार्थी के पास आधार संख्या है परन्तु उसका बैंक/पोस्ट आफिस खाता आधार से लिंक नही है तो आशा द्वारा प्रपत्र 2ए/प्रपत्र 2 बी भरवाने एवं उसे जमा कराने में लाभार्थी को सहयोग प्रदान करेगी। बैंक खाते को आधार से लिंक कराने हेतु प्रपत्र–2ए तथा पोस्ट आफिस से लिंक कराने हेतु प्रपत्र–2 बी भरा जाएगा।
- यदि लाभार्थी के पास आधार संख्या नही है तो आशा द्वारा उसे आधार कार्ड हेतु नामांकन के लिए प्रपत्र–3 भरने में सहयोग करेगी एवं लाभार्थी को आशा यह भी अवगत करायेगी कि आधार कार्ड की प्रविष्टियों में किसी भी प्रकार के संशोधन के लिए इसी प्रपत्र का प्रयोग किया जायेगा।
- आशा भरे हुए समस्त प्रपत्रों की छायाप्रति अपने पास सुरक्षित रखेगी। छायाप्रति न हो पाने की स्थिति में आशा द्वारा लाभार्थियों का विवरण एवं अन्य प्रपत्र में उतारा जायेगा जिस पर लाभार्थी के हस्ताक्षर की आवश्यकता नही होगी।

अर्बन आशा हेतु प्रतिपूर्ति राशि

क्रम सं0	गतिविधियॉ	मानदेय प्रति केस (रू0 में)
1	गर्भवती महिला के पंजीकरण कराने के पश्चात दी जाने वाली धनराशि	50.00
2	गर्भवती महिला का प्रपत्र–1 सी भर कर प्रस्तुत करने के पश्चात	50.00
कुल मानदेय प्रति लाभार्थी (रू0)		**100.00**

- आशा द्वारा गर्भवती महिला का प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना फार्म भरा जायेगा जिसके साथ गर्भवती महिला का एम0सी0पी0 कार्ड/आधार कार्ड/बैंक पासबुक/पोस्ट आफिस पास बुक की छाया प्रति फार्म के साथ एन0एम0एम0 को उपलब्ध करायेगी। आशा द्वारा प्रत्येक माह प्रपत्र–4ए एवं प्रपत्र–4बी को भरकर माह की 25 तारीख तक ए0एन0एम0 को प्रस्तुत किया जायेगा। ए0एन0एम0, आशा द्वारा किए गए कार्यों की सूचना 30 तारीख तक अर्बन हेल्थ काआर्डिनेटर/सी0सी0पी0एम0 को देगी। उपरोक्त संकलित सूची के आधार पर अर्बन हेल्थ काआर्डिनेटर/सी0सी0पी0एम0 द्वारा एक्सेल शीट तैयार की जायेगी जिसका सत्यापन अपर मुख्य चिकित्साधिकरी (आर0सी0एच0) से कराकर संकलित वाउचर के साथ अगले माह की 02 तारीख तक मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय को भुगतान हेतु उपलब्ध करा दिया जायेगा। अपर मुख्य चिकित्साधिकरी (आर0सी0एच0) का यह दायित्व होगा कि सुनिश्चित करें कि गत माह की धनराशि का भुगतान अगले माह की 5 तारीख तक आशा के खाते में पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से स्थानान्तरित हो जाए।

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2021–22 की आर0ओ0पी0 के एफ.एम.आर. कोड U.3.1.1.3 में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अर्न्तगत आशा हेतु प्रति लाभार्थी रू0 100 का प्रावधान किया गया है। इस हेतु जनपदों को सम्भावित लाभार्थियों की संख्या के आधार पर निम्न फाट के अनुसार धनराशि अवमुक्त की जा रही है:–

S.No.	District Name	Expected Beneficiaries till March 2022	Funds released in FMR code U.3.1.1.3
1	Agra	8750	875000
2	Aligarh	6160	616000

S.No.	District Name	Expected Beneficiaries till March 2022	Funds released in FMR code U.3.1.1.3
3	AmbedkarNagar	840	84000
4	Amethi	56	5600
5	Auraiya	280	28000
6	Ayodhya	910	91000
7	Azamgarh	546	54600
8	Baghpat	336	33600
9	Bahraich	658	65800
10	Ballia	616	61600
11	Balrampur	378	37800
12	Banda	532	53200
13	Barabanki	238	23800
14	Bareilly	4214	421400
15	Basti	756	75600
16	Bhadohi	252	25200
17	Bijnor	1050	105000
18	Budaun	1288	128800
19	Buland Shahar	2436	243600
20	Chandauli	168	16800
21	Chitrakoot	154	15400
22	Deoria	658	65800
23	ETAH	518	51800
24	Etawah	1554	155400
25	Farrukhabad	1274	127400
26	Fatehpur	672	67200
27	Firozabad	3528	352800
28	GB Nagar	1540	154000
29	Ghaziabad	3990	399000
30	Ghazipur	420	42000
31	Gonda	602	60200
32	Gorakhpur	4732	473200

S.No.	District Name	Expected Beneficiaries till March 2022	Funds released in FMR code U.3.1.1.3
33	Hamirpur	378	37800
34	Hapur	994	99400
35	Hardoi	756	75600
36	Hathras	546	54600
37	J P Nagar	1316	131600
38	Jalaun	714	71400
39	Jaunpur	336	33600
40	Jhansi	2324	232400
41	Kannauj	196	19600
42	Kanpur Dehat	112	11200
43	Kanpur Nagar	6398	639800
44	Kasganj	434	43400
45	Kaushambi	84	8400
46	Kheri	126	12600
47	KushiNagar	168	16800
48	Lalitpur	182	18200
49	Lucknow	8904	890400
50	Maharaj Ganj	294	29400
51	Mahoba	350	35000
52	Mainpuri	728	72800
53	Mathura	2394	239400
54	Mau	896	89600
55	Meerut	8232	823200
56	Mirzapur	448	44800
57	Moradabad	3220	322000
58	Muzaffar Nagar	1008	100800
59	Pilibhit	756	75600
60	Pratapgarh	196	19600
61	Prayagraj	5460	546000
62	Rai Bareli	672	67200

S.No.	District Name	Expected Beneficiaries till March 2022	Funds released in FMR code U.3.1.1.3
63	Rampur	1148	114800
64	Saharanpur	3836	383600
65	Sambhal	812	81200
66	Sant Kabir Nagar	336	33600
67	Shahjahanpur	2114	211400
68	Shamli	518	51800
69	Shrawasti	42	4200
70	Sidharthnagar	252	25200
71	Sitapur	1274	127400
72	Sonbhadra	224	22400
73	Sultanpur	728	72800
74	Unnao	980	98000
75	Varanasi	9450	945000
Total		**120442**	**12044200**

अनुश्रवण एवं मूल्यांकन

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अन्तर्गत आशा भुगतान की सूचना के साथ आशा भुगतान प्रपत्र 4 पर जनपद स्तर पर आडिट हेतु सुरक्षित रखी जाएगी। जनपद द्वारा संकलित सूचना आशा भुगतान प्रपत्र 4 पर राज्य स्तर पर प्रेषित की जाएगी। योजना की समीक्षा प्रति माह जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा।